

अनुसूची 33
(विनियम 36(2) देखें)
दत्तक ग्रहण आदेश का प्रारूप
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, राजसमंद

जिला: **राजसमंद**

राज्य: **राजस्थान**

राजसमंद जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष।

दत्तक ग्रहण आवेदन संख्या: **02 वर्ष 2025**

अभिहित पोर्टल पर भावी दत्तक माता-पिता का पंजीकरण संख्या: **PrHR21091284738**

दत्तक ग्रहण आदेश का प्रकार (कृपया ✓ का चिन्ह लगाए)

1.	दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 10,11,12 और 13 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 56(1), 58 और 61 के अधीन अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक या बालकों का देश के भीतर दत्तकग्रहण।	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 15, 16, 17 और 18 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 56(4), 59 और 61 के अधीन अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक या बालकों का अंतर-देशीय दत्तकग्रहण।	<input type="checkbox"/>
3.	दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 54 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 2(52),56(2) और 61 के अधीन नातेदार का देश के भीतर दत्तकग्रहण।	<input type="checkbox"/>
4.	दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 56, 57,58 और 59 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 2(52), 60 और 61 के अधीन नातेदार (पारिवारिक अथवा सौतेले) अंतर-देशीय दत्तकग्रहण।	<input type="checkbox"/>
5.	दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 55 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 39(1), 56(1) और 57(5) और 61 के अधीन सौतेले बालक का देश के भीतर दत्तकग्रहण।	<input type="checkbox"/>

[Handwritten Signature]



(2)

भाग: 1

- (क) आवेदक/आवेदकों का नाम और पता (भावी दत्तक माता-पिता):- **श्री राणा कुमार सिंह श्रीमती रीता देबनाथ, मकान सं. 7, सेक्टर-23, ईस्ट पोकट, गेट नं.-1, पालम विहार, जिला-गुरुग्राम, राज्य-हरियाणा-122017**
- (ख) मान्यता प्राप्त विशिष्ट दत्तक अभिकरण का नाम और पता (नातेदार या सौतेले बालक के दत्तक ग्रहण के मामले में लागू नहीं):- **राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण, राजसमंद पता:- गोरजी कालाजी मंदिर के पीछे, कलालवाटी, राजनगर तहसील व जिला राजसमंद**
- (ग) जिला बाल संरक्षण इकाई का नाम और पता:- **सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई, ब्रह्म कमल, नगर परिषद के पीछे, राजसमंद**
- (घ) राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण:- **राजस्थान राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, 20/198, कावेरी पथ, मानसरोवर, बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर।**

भाग: 2

- (क) यह कि विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण **राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण जिला राजसमंद (राज0)** द्वारा जिला बालक संरक्षण इकाई, राजसमंद के माध्यम से 13.06.2025 को दत्तक ग्रहण का आवेदन फाईल किया गया है और दत्तक ग्रहण विनियम की अनुसूची 6 के साथ पठित अनुसूची 9 में तथा उपबंधित जांच सूची में नियत दस्तावेजों को विधिवत सत्यापित कर लिया गया है। (नातेदार या सौतेले बालक के दत्तक ग्रहण के मामले में, आवेदन सीधे जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा प्रस्तुत किया जाए)
- (ख) यह कि आवेदकगण के बालिका को एक नया नाम देने के लिए एक शपथ पत्र दायर किया है और सुझाया गया नाम **रिधन्या** है तथा तदनुसार बालिका को **सिया** के बजाय **रिधन्या** से जाना जाएगा।
- (ग) यह कि दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया अब सभी प्रकार से पूर्ण हो गई है और तदनुसार मैं, श्री **राणा कुमार सिंह श्रीमती रीता देबनाथ** भावी दत्तक माता-पिता, जिनका रजिस्ट्रेशन संख्या Pr HR21091284738 है के साथ बालिका **सिया** (लड़की) जन्म दिनांक **06.04.2025** (बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र होना प्रमाणित किया गया) के दत्तक ग्रहण की अनुमति देता हूँ:-
- (i) भावी दत्तक माता-पिता अर्थात् **श्री राणा कुमार सिंह श्रीमती रीता देबनाथ** दत्तक ग्रहण के लिए पात्र और उपयुक्त पाए गए हैं [देश के भीतर दत्तक ग्रहण के मामले में दत्तक ग्रहण समिति के कार्यवृत्त के आधार पर]:

Pranab




(3)

- (ii) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 और दत्तक ग्रहण विनियम 2022 में यथाउपबंधित सम्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।
- (iii) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 63 के अनुसार नाम **सिया** (लड़की) जन्म दिनांक **06.04.2025** जिसके संबंध में आज दिनांक **07.07.2025** को एक दत्तक ग्रहण आदेश जारी किया गया है, दत्तक ग्रहण आदेश के प्रभावी होने की तारीख से निर्वसीयतता सहित सभी प्रयोजनों के लिए इस प्रकार दत्तक माता-पिता श्री **राणा कुमार सिंह श्रीमती रीता देबनाथ** की संतान बन जाएगी और दत्तक माता-पिता बालक के माता-पिता बन जाएंगे जैसे की बालिका का जन्म दत्तक माता-पिता से हुआ हो और इसी तारीख से बालिका के जन्म लेने वाले परिवार के साथ बालिका के सभी संबंध समाप्त माने जाएंगे और दत्तक ग्रहण आदेश द्वारा दत्तक ग्रहण परिवार में सृजित संबंधों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे। अब शिशु बालिका सिया को **रिधन्या** के नाम से जाना जाए।
- (iv) आयुक्त, नगरपरिषद, राजसमंद जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 (1869 का 18) के तहत अधिसूचित स्थानीय रजिस्ट्रार को, भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार, माता-पिता के रूप में दत्तक आदेश में उल्लिखित दत्तक माता-पिता का नाम और बालक की जन्म तिथि को समाविष्ट करते हुए विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण या दत्तक माता-पिता द्वारा फाईल आवेदन पर दत्तक बालिका के पक्ष में पाँच दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया जाता है।
- (v) बालक परित्यक्त बालक है, विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण अथवा जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा अभिहित पोर्टल पर बालक की प्रास्थिति अद्यतन की जाए।

दिनांक :- 07/07/2025




(अरुण कुमार हसीजा)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमंद (राजस्थान)